राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक
424 / 2024	16.10.2024	01.09.2025

उनवानः

1. हितेश पत्नी चरणसिंह जाति जाट निवासी आसरा का माजरा तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा हाल आबाद हाउस नं. 147 फर्स्ट फ्लोर, सैक्टर 45, कनाही गुडगांवा हरियाणा ।

........वादनी

बनाम

1. अमनदीप पुत्र फूलकुमार जाति जाट
2. तीरथ पुत्र फूलकुमार जाति जाट
3. परीसा पुत्र फूलकुमार जाति जाट
4. सुरेन्द्र पुत्र फूलकुमार जाति जाट सभी निवासी आसरा का माजरा तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा
5. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय नीमराना तहसील नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

.......प्रतिवादीगण

दावा तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितीः–श्री नोपेन्द्र कुमार शर्मा योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 1419 रकबा 0.6470 है0, 1421 रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम गूगलकोटा तह0 नीमराना मे स्थित है जिसमे मिन वादीया हिस्सा–1/2 की खातेदार दर्ज रिकार्ड हूॅ तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 प्रत्येक हिस्सा–1/8 के खातेदार दर्ज रिकार्ड है। आराजी मुतनाजा का मौके पर हम सभी खातेदारो द्वारा काश्त की सहूलियत से काफी अर्सा पूर्व से बाहमी बंटवारा किया हुआ है तथा मौके पर मिन वादनी बाहमी बंटवारा के मुताबिक काश्त कर रही हूॅ। मिन वादनी को प्रतिवादीगण द्वारा मेरे हिस्से की भूमी पर काश्त करने मे किसी प्रकार की दिक्कत बाजी नही की है। लेकिन मिन वादनी दिनांक 01.10.2024 को प्रतिवादीगण को आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारा के मुताबिक तकासामा करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने आराजी मुतनाजा का तकासामा करवाने से इंकार कर दिया और मिन वादनी को धमकी दी की मौके पर जिस भाग पर आप काश्त कर रही है उस पर अब हम कब्जा कर काश्त करेगें और उसे हम अपने हिस्से की भूमि बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करेगे। इसलिए आराजी मुतनाजा के बाहमी बंटवारा के मुताबिक रिपोर्ट मंगवाई जाकर मिन वादनी के खातेदारी हिस्से की भूमि का अलग से विभाजन किया जाकर उसकी खातेदार मिन वादनी को घोषित किया जाने एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाने की प्रार्थना की गई।

वाद वादनी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 की अखबार प्रकाशन के जरिये तामिल होने के बावजूद भी न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 11.06.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई।

वकील वादी ने दावा को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर, बाद कुर्रे रिपोर्ट प्रकरण का निस्तारण किया जाने की प्रार्थना की गई।

वकील वादी के कथनो पर विचार विमर्श किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। वाद ग्रस्त भूमि वादनी व प्रतिवादी सं0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

1 लगा. 4 की सहखातेदारी की आराजी है। लेकिन वादनी द्वारा वादग्रस्त भूमि का मौके पर कदीम से बाहमी बंटवारा किया होने के कथन किये गये है। लेकिन वाद ग्रस्त भूमि के मौके पर बाहमी बंटवारा किये जाने के कोई तथ्य एवं सबूत पत्रावली पर उपलब्ध नही है। वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि है जिसका विभाजन बिना कुर्रे रिपोर्ट के किया जाना सम्भव नही होने के कारण वाद वादनी को न्याय हित मे दिनांक 05.08.2025 को प्राम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नीमराना को आदेशित किया गया कि उभय पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्ता संबंधि राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को दृष्टिगत रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय मे भिजवाई जावे।

तहसीलदार नीमराना द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 05.08.2025 की पालना मे वादग्रस्त खसरा नम्बर 1419 रकबा 0.6470 है0, 1421 रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम गूगलकोटा तह0 नीमराना जिला कोपूतली–बहरोड की कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 11.08.2025 को तैयार करवाकर, इस न्यायालय मे दिनांक 11.08.2025 को पेश की गई। वकील वादनी उपस्थित तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति पेश नही की गई। इसलिए तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिर्पोट के आधार पर वादनी का वाद अंतिम रूप से डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादनी,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 11.08.2025 के मुताबिक खसरा नम्बर 1419 रकबा 0.6470 है0, 1421 रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम गूगलकोटा तह0 नीमराना जिला कोपूतली–बहरोड के, तकसीम की डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है किः–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	हितेश महलावत पत्नी चरणसिंह महलावत हिस्सा सम्पूर्ण जाति जाट सा0 आसरा का माजरा तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा हाल आबाद हाउस नं. 147 प्रथम फ्लोर सेक्टर 45, कनाही गुडगांवा खातेदार	1419 / 1 1421 / 1	0.3235 0.24
		कुल किता–2 रकबा 0.5635 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	अमनदीप पुत्र फूलकुमार हि0–1 / 4 जाति जाट सा0 आसरा का माजरा तहसील बावल खातेदार	1419 / 2 1421 / 2	0.3235 0.24
2.	तीरथ पुत्र फूलकुमार हि0–1 / 4 जाति जाट सा0 आसरा का माजरा तहसील बावल खातेदार	कुल किता–2 रकबा 0.5635 है0	
3.	परीसा पुत्री फूलकुमार हि0–1 / 4 जाति जाट सा0 आसरा का माजरा तहसील बावल खातेदार		
4.	सुरेन्द्र पुत्र फूलकुमार हि0–1 / 4 जाति जाट सा0 आसरा का माजरा तहसील बावल खातेदार		

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 01.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद स0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक
424/2024	16.10.2024	01.09.2025

उनवान:

1. हितेश पत्नी चरणसिंह जाति जाट निवासी आसरा का माजरा तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा हाल आबाद हाउस नं. 147 फर्स्ट फ्लोर, सैक्टर 45, कनाही गुडगांवा हरियाणा ।

........वादनी

बनाम

1. अमनदीप पुत्र फूलकुमार जाति जाट
2. तीरथ पुत्र फूलकुमार जाति जाट
3. परीसा पुत्र फूलकुमार जाति जाट
4. सुरेन्द्र पुत्र फूलकुमार जाति जाट सभी निवासी आसरा का माजरा तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा
5. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय नीमराना तहसील नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

.......प्रतिवादीगण

दावा तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिती:–श्री नोपेन्द्र कुमार शर्मा योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादनी,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 11.08.2025 के मुताबिक खसरा नम्बर 1419 रकबा 0.6470 है0, 1421 रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम गूगलकोटा तह0 नीमराना जिला कोपूतली–बहरोड के, तकसीम की डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है कि:–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	हितेश महलावत पत्नी चरणसिंह महलावत हिस्सा सम्पूर्ण जाति जाट सा0 आसरा का माजरा तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा हाल आबाद हाउस नं. 147 प्रथम फ्लोर सेक्टर 45, कनाही गुडगांवा खातेदार	1419/1 1421/1	0.3235 0.24
		कुल किता–2 रकबा 0.5635 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	अमनंदीप पुत्र फूलकुमार हि0–1/4 जाति जाट सा0 आसरा का माजरा तहसील बावल खातेदार	1419/2 1421/2	0.3235 0.24
2.	तीरथ पुत्र फूलकुमार हि0–1/4 जाति जाट सा0 आसरा का माजरा तहसील बावल खातेदार	कुल किता–2 रकबा 0.5635 है0	
3.	परीसा पुत्री फूलकुमार हि0–1/4 जाति जाट सा0 आसरा का माजरा तहसील बावल खातेदार		
4.	सुरेन्द्र पुत्र फूलकुमार हि0–1/4 जाति जाट सा0 आसरा का माजरा तहसील बावल खातेदार		

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 84/2024 | रजू दिनांक 16.10.2024 | प्रारम्भिक पर्चा डिक्री दिनांक 05.08.2025

उनवान

1 हितेशा पत्नी श्री चरणसिंह जाति जाट निवासी आसरा का माजरा तह0 बावल जिला रेवाड़ी हरियाणा हाल आबाद हाउस नं. 147 फर्स्ट फ्लोर, सैक्टर 45, कनाही गुडगॉव हरियाणा।

बनाम ....वाद

1 कुलदीप
2 तीस्था पुत्रान फूलकुमार जातियान जाट निवासीयान आसरा का माजरा तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा।
3 वरीसा पुत्री फूलकुमार जाति जाट निवासी आसरा का माजरा तहसील बावजल जिला रेवाडी हरियाणा।
4 सुरेन्द्र पुत्र फूलकुमार जाति जाट निवासी आसरा का माजरा तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा।
5 श्रीमान् उप पंजीयक महोदय नीमराना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज।
6 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज।

.......प्रतिवादीगण

<u>दावा तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई</u>
दवामी 53,88,188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति:–

1. श्री नोपेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी

–:प्रारम्भिक पर्चा डिक्री:–

वादी की ओर से श्री नोपेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 05.08.2025 को महेन्द्र सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है ओर प्रारम्भिक पर्चा डिक्री दी जाती है कि:–

न्यायालय दावा बावत खाता व लगान विभाजन के वादी के वाद को अनुसार प्रारंभिक डिकी की जाती है। यह प्रारंभिक डिकी का अंश होगा। प्रारम्भिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम गुगलकोटा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड के हाल आराजी ख.नं. 1419 रकबा 0.6470 है0, 1421 रकबा 0.48 है0,का विभाजन कर लगान अलहेदा कामय किये जाने के आदेश दिए जाते है। विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदर नीमराना को आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान की उपस्थिति में मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों संबंधी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आगामी नियत तारीख पेशी 12.8.25 से पूर्व इस न्यायालय मे भिजवाये।

यह प्रारम्भिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.082025 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(महेन्द्रसिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)